न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 3/2025

राजकुमार मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 12.02.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13.12.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

ग्राम कुण्डिया परिक्षेत्र में आने वाली, समस्त श्रेणी कि भूमि, का प्रमाणित नक्सा ट्रेस के सदर्भ मे रिकार्ड की प्रमाणित प्रति

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को पत्र कमांक 51 दिनांक 17.01.2025 व 118 दिनांक 30.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा ने पत्र कमांक 261 दिनांक 27.01.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होना नही पाया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 262 दिनांक 27.01.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)